(413)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.12(62)नवि / 2000 जयपुर, दिनांक 25-1-01

:: अधिसूचना ::

राज्य सरकार इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15.3.2001, जिसके द्वारा नगर विकास न्यासों एवं पक्षकारों के मध्य प्रचलित विवादो के समझौतों से निस्तारण के लिए समितियों का गठन किया गया था, की अधिसूचना को एतदद्वारा अधिक्रमण करते हुए तत्सम्बन्धित प्रयोजनार्थ नयी व्यवस्था के लिए यह अधिसूचना जारी करती है।

राज्य के नगर विकास न्यासों के बहुत से मामले नागरिकों के मध्य न्यायालयों तथा न्यायालयो के बाहर भी चल रहे हैं, जिनके परिणामस्वरुप नागरिक तो जहां अपने प्रकरणों के निष्पादन के अभाव में मानसिक उत्पीडन से ग्रस्त हैं, वही दूसरी ओर नगर विकास न्यासों पर मुकदमों की पैरवी आदि के कारण आर्थिक एव प्रशासनिक भार भी पड रहा है। लगातार ऐसे विवाद न्यासो तथा लोगो के बीच घटने की बजाय बढ रहे हैं। मुख्यतया ऐसे प्रकरण निम्न विषयों से संबंधित हैं :-

1. संभावित विवादित विषय:-

(i) भवन निर्माण के संबंध में कानूनी प्रावधानों, विनियमों और नियमों के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण।

(ii) भूमि एवं भवन के अनाधिकृत उपयोग एवं तत्संबंधी मामले, बिना स्वीकृति या स्वीकृति के विपरीत निर्माण के मामले और चाही जा रही स्वीकृति के मापदंडों के अनुरुप नक्शों का अनुमोदन ना होना आदि से संबंधित मामले।

(iii) आवंटन, नीलामी से विक्रय किये गये भूखण्डों तथा लीज अवधि विस्तार या ग्राउण्ड रेट व यूज एण्ड आक्यूपेशन चार्जेज / किराए पर दिए गए स्थल भूखण्डो के नियमन के बारे में व जमीनों के टाइटल सहित कीमत की वसूली व अन्य समस्त ऐसे मामले।

(iv) अन्य ऐसे मामले जो न्यासों के अधिनियम, [illegible] बनाये गये नियमों, विनियमों, उपनियमों या [illegible] अधिसूचनाओ के अंतर्गत प्रचलित समस्त प्रकार [illegible]

उपरोक्त विवादित बिन्दुओं के फलस्वरूप [illegible] योजनाए लम्बित पड़ी हुई है व भवन निर्माण की गतिविधि [illegible] रूका हुआ है आज के परिप्रेक्ष्य में शहरी भूमियो [illegible] मामलों के निस्तारण के अभाव में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने मे कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। अतः ऐसे विवादों और मुकदमों के गुण-दोष के आधार पर निपटारे की महत्वपूर्ण आवश्यकता को [illegible] अदालत नहीं करने के निमित्त, राज्य अदालतों में प्रचलित और अदालतों के बाहर लंबित विवादों का नागरिकों व नगर विकास न्यासों [illegible] निस्तारण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राज्य सरकार [illegible] समितियों का गठन करती है :-

2. समझौता समितिया

(i) स्थानीय समझौता समिति

अध्यक्ष सम्बन्धित न्यास	अध्यक्ष
संबंधित क्षेत्र के विधायक	विशेष आमंत्रित सदस्य
राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो सदस्य(जिनमें कम से कम एक की पृष्ठभूमि विधिक हो)	सदस्य
सचिव संबंधित न्यास	सदस्य सचिव

(ii) राज्य स्तरीय समझौता समिति

श्री इन्द्रसेन इसरानी, माननीय पूर्व न्यायाधीश, राज. उच्च न्यायालय।	अध्यक्ष
शासन सचिव, नगरीय विकास	सदस्य
श्री एम रफीक, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय।	सदस्य
मुख्य नगर नियोजक/सेवानिवृत मुख्य नगर नियोजक	सदस्य
[illegible] उपसचिव स्वायत्त शासन	सदस्य

(iii) राज्य स्तरीय समिति की सहायता के लिए विशेषाधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने की स्थिति में विशेषाधिकारी समिति की प्रत्येक बैठक हेतु अध्यक्ष की सहमति से एजेण्डा तैयार कर सभी सदस्यों को कम से कम तीन दिन पूर्व भिजवायेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक बैठक का कार्यवाही विवरण जारी करेंगे। इसके अलावा समिति के अध्यक्ष द्वारा आवंटित अन्य कार्यों को भी सम्पादित करेंगे। जब तक विशेषाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक बैठको की प्रबंधन व्यवस्था, बैठको की कार्यवाही, रेकार्ड आदि के संधारण के लिए नगरीय विकास विभाग किसी अधिकारी की इन कार्यो के सम्पादन के निमित्त व्यवस्था करेगा । राज्य स्तरीय समिति की बैठको का कार्यवाही विवरण (प्रोसीडिंग) शहरी विकास मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त कियान्वयन के लिए जारी की जावेगी।

3. समझौते के लिए आवेदन की प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क

जो व्यक्ति विवादो (या किसी कोर्ट केस) का समझौते से निस्तारण चाहते हों, वे व्यक्ति संबंधित स्थानीय समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य सचिव/विशेषाधिकारी (जैसी स्थिति हो) के सम्मुख अध्यक्ष के नाम सम्बोधित आवेदन प्रस्तुत करेंगे। समिति के सदस्य सचिव संबंधित न्यास की पत्रावली और तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त कर पत्रावली का संधारण करेंगे। तत्पश्चात् समिति की बैठक की तिथि तय करने के लिए अध्यक्ष से सहमति प्राप्त कर बैठक के लिए कार्य सूची तैयार कर जारी करेंगे। आवेदक को समझौते के आवेदन के साथ संबंधित न्यास में रूपये 1000/- आवेदन शुल्क के रुप में जमा करवाने होंगे। यह राशि आवेदक को वापस नहीं लौटाई जावेगी। समझौते के आवेदन के साथ इस शुल्क की रसीद/चालान की प्रति लगानी होगी। स्थानीय समिति के निर्णय के विरूद्ध 30 दिवस में राज्य स्तरीय समिति के सामने अपील प्रस्तुत की जावेगी। यदि आवेदक स्थानीय समझौता समिति से प्रकरण राज्य स्तरीय को रेफर करवाना चाहेंगे तो उन्हे राज्य स्तरीय समिति के लिए आवेदन शुल्क के रूप में रू 1000/- अलग से जमा करवाने होंगे। राज्य स्तरीय समिति में समिति समझौते के लिए इस प्रकार आवेदन शुल्क रू 2000/- होगा।

4. सामान्य निर्देश

(i) स्थानीय समिति की बैठक न्यास मुख्यालय पर तथा राज्य स्तरीय समिति की बैठकें सामान्यतया जयपुर विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक कार्यालय परिसर में आयोजित होंगी।

(ii) राज्य स्तरीय समझौता समिति का कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण या मुख्य नगर नियोजक कार्यालय परिसर में स्थापित होगा एवं इससे सम्बन्धित समस्त व्यय जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जावेगें।

(iii) स्थानीय एवं राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष किसी मामले विशेष में विषय के विशेषज्ञों को समिति की बैठक में राय जानने के लिये विशेष रुप से आमंत्रित कर सकेंगे।

(iv) स्थानीय एवं राज्य स्तरीय समिति, समझौतों के मामलों में संबंधित न्यास का रिकॉर्ड तलब कर सकेगी और संबंधित अधिकारियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और रिपोर्ट आदि देने के लिए निर्देशित कर सकेगी। पक्षकारो के साक्ष्यो के लिए बयान/हलफनामे आदि ले सकेगी।

(v) समितियों के समक्ष न्यास सहित पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए बैठकों में आमंत्रित किया जायेगा। आवश्यकता के अनुसार स्थानीय समिति भी बयान/हलफनामें ले सकेगी।

(vi) समितियों के निर्णयों की पालना संबंधित नगर विकास न्यास के सचिव सुनिश्चित करेंगे। निर्णय की पालना आज्ञापक होगी। संबंधित न्यास सचिव द्वारा इन समितियों द्वारा पारित आदेशों की कियान्विति रिपोर्ट शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग तथा अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति को एवं स्थानीय समितियों को प्रतिमाह भेजेगें। सामान्यतया समिति के निर्णयों की पालना निर्णय के प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर सुनिश्चित की जावेगी। इस अवधि में किन्ही कारणवंश पालना नही होने की सूरत में कारण सहित अध्यक्ष स्थानीय/राज्य स्तरीय समिति को सूचना देकर और समय लिया जा सकेगा।

(vii) समितियों के सामने आवेदक को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा किन्तु आवेदक की ओर से अभिभाषक को पैरवी करने की अनुमति सामान्यतया नहीं होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आवेदक की ओर से उसका पक्ष रखने के लिए उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा अभिभाषक को समिति के सम्मुख उपस्थित होने की अनुमति समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

(viii) समितियों की बैठकें – स्थानीय समझौता समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार तथा काम के भार को देखते हुए लगातार भी आयोजित की जा सकेगी एवं राज्य स्तरीय समिति की बैठक एक माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। विचाराधीन प्रकरणो की संख्या तक उनके शीघ्र निपटारे की आवश्यकता को देखते हुए समिति की अधिक बैठकें भी की जा सकेगी। समझौते के लिए प्राप्त प्रकरणों का निष्पादन स्थानीय समिति एक माह में एवं राज्य स्तरीय समिति 45 दिवस में सुनिश्चित करेगी। समिति की बैठको का कार्यवाही विवरण सदस्य सचिव अपनी देख–रेख में संधारित करवायेंगे। समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की की उपस्थिति के हस्ताक्षर संधारित उपस्थिति पंजिका मे लिए जाएंगे। कार्यवाही विवरण में उपस्थित सदस्यो का उल्लेख किया जायेगा।

5. <u>समितियों की समझौते की शक्तियां</u> –

(i) स्थानीय समझौता समिति ऐसी संपत्तियो जिनका अनुमानतः इन्वालमेंट आरक्षित दर के अनुपात के आधार पर 30.00 लाख रुपये तक हैं, निस्तारण करेंगी तथा उस प्रकरण विशेष में 3 लाख रुपये तक ब्याज, शास्ति, शुल्क व अन्य चार्जेज में गुण दोष के आधार पर छूट देने के लिए अधिकृत होगी। राज्य स्तरीय समिति ऊपर उल्लेखित राशि से अधिक के समस्त मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्णतया अधिकृत होगी। यदि कोई न्यास पक्षकारो से ऐसे मामलों में अन्य प्रावधानानुसार समझौता करना चाहे तो वे अन्यथा प्राविधित प्रकिया के अन्तर्गत भी समझौते कर सकेगा। इन समितियों का निर्णय नगर विकास न्यासों के लिए बाध्यकारी होगा तथान्याससमितियो के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकेंगा।

(ii) सभी प्रकरण स्थानीय समझौता समिति के समक्ष निर्धारित शुल्क जमा करा कर प्रस्तुत किए जाएगें। जो मामले स्थानीय समिति के क्षेत्राधिकार के नहीं होंगे उनके सम्बन्ध में समिति प्रकरण का तथ्यात्मक नोट न्यास को होने वाले लाभ/हानि का विवरण राज्य स्तरीय समझौता समिति को निर्णयार्थ प्रेषित करेगी।

(iii) स्थानीय स्तरीय समिति में यदि किसी प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य सहमति से निर्णय नहीं होता है और आवेदक समिति के निर्णय से सहमत नहीं है तो ऐसी अवस्था में आवेदक अपने प्रकरण को राज्य स्तरीय समझौता समिति को रेफर करने का स्थानीय समिति से अनुरोध कर सकेगा, तदनुसार ऐसे प्रकरण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएगें। यदि स्थानीय समिति उपरोक्तानुसार प्रकरण को राज्य स्तरीय समिति को रैफर नहीं करती है तो आवेदक को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष स्थानीय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति मे आवेदक को बिन्दु सं.3 के अनुसार समझौता आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा।

(iv) स्थानीय समिति के प्रकरण राज्य स्तरीय समिति को रैफर करने के आवेदक के अनुरोध की तिथि से 15 दिन में प्रकरण रैफर किया जाएगा। स्थानीय समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील आदेश के 30 दिनों में प्रस्तुत की जाएगी किन्तु अपील की अवधि का डिले कंडोन करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष के पास होगा।

(v) दोनों समितियां उनके समक्ष विचाराधीन किसी विशेष प्रकरण में अन्तरिम आदेश दे सकेगी तथा आवश्यकता होने पर स्थगन आदेश भी जारी कर सकेगी।

(vi) संबंधित न्यासों के नियमों/अधिनियम में ऐसे मामलों में समझौते के लिए अन्यथा प्रावधानों के रहते हुए भी समितियों का निर्णय न्यासों के विधि प्रावधानों के अनुरुप माना जायेगा।

(7)

(265)

(vii) इन समितियों द्वारा समझौते के निर्णय में यदि कोई समझौता शुल्क या अन्य राशि विन्दु सं 3 के अतिरिक्त जमा करवाना आदेशित किया जाता है तो यह राशि संबंधित न्यासों के कोष में जमा करवाई जावेगी। विवादों के निस्तारण के मामले में अन्य शुल्क, शास्ती, मूल राशि, ब्याज आदि समिति द्वारा निर्धारित नीति, प्रकिया, समयावधि में आवेदक के लिए जमा करवाना अनिवार्य होगा।

(viii) समितियां न्यायालयों में प्रचलित मामलों और न्यायालयों के बाहर न्यास एवं नागरिकों के बीच प्रचलित विवादों का निष्पादन कर सकेगी (इसके लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि समझौते से पूर्व वाद को न्यायालय से वापिस लिया जावे) किन्तु न्यायालयों में प्रचलित मामलों के संबंध में समितियों के निर्णय का कियान्वयन तब किया जायेगा जब संबंधित आवेदक न्यायिक प्रकिया से अपने वाद को वापस ले लेगा। इसी प्रकार न्यासों द्वारा भी यदि किसी न्यायालय में वाद दायर किया हुआ हो तो उसे वापस लेने के लिए न्यास पाबन्द होगा।

6. बैठक की कार्यसूची एवं कोरम –

(i) समितियो की बैठक की कार्यसूची संबंधित सदस्यों के पास जहां तक संभव हो सात दिन पूर्व भेजी जावेगी। इसी प्रकार पक्षकारों और बैठकों में बुलाये गये अन्य अधिकारियों को भी बैठक की जानकारी सम्भवतया सात दिन पूर्व दी जावेगी। समितियो के अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में कार्य सूची के अतिरिक्त किसी मामले को आहूत बैठक में निर्णय के लिए प्रस्तुत करने के आदेश दे सकेंगे और ऐसे मामले जो कार्य सूची में दर्ज नहीं हो उनके लिए संबंधित न्यास से तत्संबंधित रिकॉर्ड टिप्पणी और संबंधित अधिकारियों से जानकारी बैठक में मांग सकेंगे।

(ii) स्थानीय समितियो का कोरम अध्यक्ष व दो सदस्यों का होगा। राज्य स्तरीय समिति का कोरम अध्यक्ष व दो सदस्यों का होगा।

(iii) निर्णय सामान्यतया सर्वसम्मति से लिये जायेंगे किन्तु बहुमत के आधार पर लिया गया निर्णय भी विधि अनुरुप माना जाएगा। किसी निर्णय में बराबर मत होने की अवस्था में अध्यक्ष कास्टिंग वोट का उपयोग कर सकेंगे।

(iv) स्थानीय समझौता समिति द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध एवं सम्बन्धित पक्षकार द्वारा राज्य स्तरीय समिति के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की जाएगी उसमें राज्य स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा एवं किसी भी पक्षकार द्वारा इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

7. विविध दिशा–निर्देश

(i) समितियो के प्रकरणों के निष्पादन के लिए यदि किसी मामले में अन्य निकाय की पत्रावली या संबंधित अधिकारियों की राय जानना अथवा जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो तो ऐसे मामलों की पूर्ति संबंधित नगर विकास न्यास के सचिव द्वारा करवाई जावेगी।

(ii) समितियों के निर्णय/निर्देश को संबंधित न्यास द्वारा किसी भी स्तर पर न तो रिव्यू/रिवाइज किया जा सकेगा और न ही इन निर्णयों के विपरीत कोई निर्देश दिये जा सकेंगे अर्थात् समितियों के निर्णय की पालना संबंधित न्यासों के लिए बाध्यकारी होगी।

(iii) इन समितियों के निर्णयों की कियान्विति नहीं करने व अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

(iv) नगर विकास न्यासों की ओर से राज्य के विभिन्न न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलो के संबंध में (अलावा जिनका संबंध सीधा राज्य सरकार व अन्य विभागो से है) न्यास अपने अभिभाषको के जरिए समझौते से विवादों के उपरोक्तानुसार निष्पादन की प्रकिया न्यायालयों के ध्यान में लायेंगे ताकि न्यायालयों की सहायता से पक्षकारों को इस प्रक्रिया के अंतर्गत विवादों के हल के लिए प्रेरित करवाया जा सकें जिससे लंबे समय से चल रहे विवादों का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र किया जा सके।

(v) राज्य सरकार किसी भी समय इन समितियों का आवंटित कार्य, निर्धारित प्रक्रिया, सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और उन्हे बदलने तथा विषय विशेष अथवा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के आदेश समय-समय पर दे सकेगी।

(vi) राज्य स्तरीय समझौता समिति के अध्यक्ष एवं विशेषाधिकारी हेतु स्टाफ, मानदेय व अन्य सुविधाओं के लिए अलग से आदेश जारी किये जावेंगे।

(vii) इस अधिसूचना के प्रभावशील होने के पूर्व उपरोक्त प्रयोजनों के लिए गठित समितियो द्वारा लिए गए निर्णय विधि अनुरूप लिए गए माने जाएंगे।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशन करवाकर प्रकाशित अंक की एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. न्यायाधिपति श्री इन्द्रसेन इसरानी, जे-54, कृष्णा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. श्री एम.रफीक, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर
6. समस्त संभागीय आयुक्त
7. समस्त जिला कलेक्टर
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. अध्यक्ष समस्त नगर विकास न्यास
11. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

(107)

(268)